सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

दूरभाष : (0755)2768390, 92, 94, 95, फैक्स : (0755) 4272644, 4271268

क्र/राशिके/ईएण्डआर/2008/ 3603 भोपाल,दिनांक 7.6.08

प्रति,

कलेक्टर

जिला–.............................. (म0प्र0)

विषय– सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत प्राथमिक शालाओं के उन्नयन से खोली गई माध्यमिक शालाओं **हेतु संविदा शिक्षक वर्ग–2 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पदों के आवंटन बाबत्।**

संदर्भ– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 3153 दिनांक 22/05/2008

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत प्राथमिक शालाओं के उन्नयन से खोली गई माध्यमिक शालाओं हेतु अध्यापक के स्वीकृत पद जिलों को आवंटित किये गये हैं। इन पदों पर पूर्ति संविदा शिक्षक वर्ग–2 से की जानी है। संविदा शिक्षक वर्ग–2 के पदों पर नियुक्ति म0प्र0 नगरपालिका शाला शिक्षा संविदा शिक्षक (नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम 2005/ म0प्र0 पंचायत द्वारा संविदा शाला शिक्षक नियुक्ति तथा सेवा शर्तें नियम 2005 एवं संशोधन नियम 2008 के तहत की जाए।

वर्ष 2005–06 में खोली गई 247 शालाओं तथा वर्ष 2004–05 में खोली गई 883 शालाओं हेतु पूर्व में जिलों को संविदा शिक्षक वर्ग–2 के दो पद प्रति शाला के मान से गणित तथा सामाजिक अध्ययन संकाय के पद आंवटित किये गये थे, जिन पर जिलो द्वारा नियुक्तियाँ की गई हैं। वर्ष 2005–06 तथा वर्ष 2004–05 में खोली गई शालाओं हेतु तृतीय शिक्षक के रूप में एक पद प्रति शाला स्वीकृत किया गया है। जिले द्वारा पूर्व में की गई नियुक्ति गणित तथा सामाजिक अध्ययन संकाय द्वारा की गई हो तो दिये जाने वाले तृतीय पद पर विज्ञान संकाय से पद पूर्ति की जावें। यदि किसी जिले द्वारा पूर्व में विज्ञान संकाय से नियुक्ति की गई हो तो तृतीय पद की पूर्ति उस संकाय से की जावें जो उस शाला में नही हो अर्थात यदि जिले द्वारा पूर्व में गणित और विज्ञान संकाय से पदपूर्ति की गई हो तो उस स्थिति में तृतीय पद की पूर्ति सामाजिक अध्ययन संकाय से की जावें। **किसी भी भी स्थिति में एक शाला में एक ही संकाय के दो व्यक्तियों से पद पूर्ति न की जावे।**

वर्ष 2006–07 तथा वर्ष 2007–08 की शालाओं हेतु तीन–तीन पद स्वीकृत किये गये है। दिये गये तीन पदों की पूर्ति क्रमशः गणित, सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान संकाय से की जावें।

वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2008–09 में प्रस्तावित 1013 माध्यमिक शालाओं हेतु दो पद स्वीकृत किये गये है। इन दो पदों की पूर्ति क्रमशः गणित और सामाजिक अध्ययन संकाय से की जावें।

रिक्त पदों की गणना करते समय संविदा शिक्षक वर्ग–2 रिक्त पदों में वर्ष 2007–08 की शालाओं हेतु तृतीय पद के रूप में प्रति शाला दिये जाने वाले एक पद तथा वर्ष 2008–09 की शालाओं हेतु प्रति शाला दिये जाने वाले दो पदों को भी रिक्त पदों में सम्मिलित किया जाये। वर्ष 2007–08 की शालाओं हेतु तृतीय पद तथा वर्ष 2008–09 की शालाओं हेतु प्रति शाला दिये जाने वाले दो पदों की जिलेवार जानकारी परिशिष्ट –1 पर संलग्न है।

निरन्तर.....2/–

जिलेवार संविदा शिक्षक वर्ग–2 के रिक्त पदों की पूर्ति निम्नानुसार विषय संकाय से की जावें :–

स0 क्र0	माध्यमिक शाला स्वीकृति का वर्ष (वार्षिक कार्य योजनानुसार)	माध्यमिक शालाओं की संख्या	संविदा शिक्षक वर्ग–2 के पद का प्रकार	संकायवार शिक्षक पद संख्या	रिमार्क
1	2005–06	247	संविदाशिक्षक वर्ग–2 का तृतीय पद	विज्ञान (247)	यदि जिले द्वारा पूर्व में विज्ञान संकाय से पद भरा गया हो तो सामाजिक अध्ययन /गणित, जिसका भी पद रिक्त हो उससे पद पूर्ति की जावें।
2.	2004–05	883	संविदा शिक्षकवर्ग–2 का तृतीय पद	विज्ञान (883)	
3	2006–07	386	संविदा शिक्षकवर्ग–2 के तीन पद	1. गणित(386) 2 सामा0अध्ययन(386) 3. विज्ञान(386)	
4	2007–08	1119	संविदा शिक्षकवर्ग–2 के तीन पद	1. गणित(1119) 2.सामा0अध्ययन(1119) 3. विज्ञान(1119)	
5	2008–09	1013	संविदा शिक्षकवर्ग–2 के दो पद	1. गणित(1013) 2 सामा0अध्ययन(1013)	

शाला संचालन के प्रथम वर्ष में दिये जाने वाले संविदा शिक्षक वर्ग–2 के दो पदों की पूर्ति क्रमशः गणित और सामाजिक अध्ययन संकाय से की जावें। शाला संचालन के द्वितीय वर्ष में तृतीय शिक्षक के रूप में दिये जाने वाले शिक्षक के पद की पूर्ति विज्ञान संकाय से की जावें, अर्थात **माध्यमिक शाला में दिये गये संविदा शिक्षक वर्ग–2 के कुल 03 पदों की पूर्ति करते समय गणित, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान विषय संकाय के लिए एक–एक संविदा शिक्षक प्रति शाला होने अनिवार्य है।**

वर्ष 2005–06 तथा वर्ष 2004–05 की माध्यमिक शालाओं हेतु पूर्व वर्षो में संविदा शिक्षक वर्ग–2 के दो पद दिये जा चुके है इन शालाओं में तृतीय शिक्षक के दिये गये एक पद की पूर्ति विज्ञान संकाय से की जावें।

वर्ष 2006–07 तथा वर्ष 2007–08 की माध्यमिक शालाओं हेतु दिये गये तीन पदों की पूर्ति क्रमशः गणित,सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान संकाय से की जावें।

इसी प्रकार से वर्ष 2008–09 की माध्यमिक शालाओं हेतु दिये गये दो पदों की पूर्ति क्रमशः गणित और सामाजिक अध्ययन संकायो से की जावें। कृपया संविदा शिक्षक वर्ग–2 के रिक्त पदों की पद पूर्ति करते समय उपरोक्तानुसार संकायवार पद पूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें।

यदि पूर्व में प्राथमिक शाला के उन्नयन से खोली गई माध्यमिक शाला में पद पूर्ति हो जाने पर किसी कारणवश संविदा शिक्षक द्वारा पद छोड़ने/त्यागने पर हुए रिक्त पदों की भी पूर्ति की जावें।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

संलग्नः उपरोक्तनुसार परिशिष्ट –1

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / शिक्षाकर्मी / 2009 / 565 भोपाल, दिनांक 27/8/09

प्रतिलिपि :–

1 समस्त कलेक्टर,
2 समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत / जनपद पंचायत,
4 समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत,
5 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ, संलग्न निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

26/8/09

(एस.बी. धोटे)
सहायक संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

E kiran 2008/All Letter/

परिशिष्ट–1

संविदा शिक्षक वर्ग–2 के जिलों को दिये जाने वाले रिक्त पद

स0क्र0	जिला	वर्ष 2007–08 की कार्ययोजना में स्वीकृत माध्यमिक शालाएँ	संविदा शिक्षक वर्ग–2 के रिक्त पद (एक पद प्रतिशाला के मान से)	वर्ष 2008–09 की कार्ययोजना में स्वीकृत माध्यमिक शालाएँ	संविदा शिक्षक वर्ग–2 के रिक्त पद (दो पद प्रतिशाला के मान से)	संविदा शिक्षक वर्ग–2 के कुल रिक्त पद (4+7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	[illegible]	32	32	42	84	116
2	[illegible]	48	48	25	50	98
3	[illegible]	16	16	8	16	32
4	[illegible]	5	5	9	18	23
5	[illegible]	14	14			14
6	[illegible]	26	26			26
7	[illegible]	10	10	2	4	14
8	[illegible]	22	22	28	56	78
9	[illegible]	39	39	20	40	79
10	[illegible]	25	25	31	62	87
11	[illegible]	38	38	26	52	90
12	[illegible]	5	5	18	36	41
13	[illegible]	26	26	65	130	156
14	[illegible]	59	59			59
15	[illegible]	28	28	60	120	148
16	[illegible]	32	32	18	36	68
17	[illegible]	26	26	31	62	88
18	[illegible]			10	20	20
19	[illegible]	7	7	13	26	33
20	[illegible]	20	20	9	18	38
21	[illegible]	48	48	55	110	158
22	[illegible]	33	33	12	24	57
23	[illegible]			32	64	64
24	[illegible]	51	51	58	116	167
25	[illegible]	14	14	30	60	74
26	[illegible]	32	32	16	32	64
27	[illegible]			15	30	30
28	[illegible]	61	61	63	126	187
29	[illegible]			21	42	42
30	[illegible]			15	30	30
[illegible]	[illegible]	20	20	5	10	30
[illegible]	[illegible]	28	28			28
[illegible]	[illegible]	21	21	40	80	101
[illegible]	[illegible]	38	38	40	80	118
[illegible]	[illegible]	26	26	52	104	130
[illegible]	[illegible]	19	19	2	4	23
[illegible]	[illegible]	1	1	70	140	141
[illegible]	[illegible]	13	13	13	26	39
[illegible]	[illegible]	141	141			141
[illegible]	[illegible]	72	72			72
[illegible]	[illegible]	20	20	3	6	26
[illegible]	[illegible]	2	2	5	10	12
[illegible]	[illegible]	1	1			1
[illegible]	[illegible]			51	102	102
	[illegible]	1119	1119	1013	2026	3145